जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 02.10.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.09.2024 को रिमझिम पत्नी रजत सिंह चौहान निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादिनी के पति रजत सिंह चौहान की हत्या कर देने के सम्बंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 483/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । दिनांक 01.10.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र दिनेश 2.जितेन्द्र पुत्र मिन्टु निवासीगण ग्राम मुख्तयारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल व आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में धारा 238 बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 02.10.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उक्त घटना में वांछित अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र हरकेश सिंह निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे पिता दो भाई थे, मेरे पिता का नाम हरकेश तथा चाचा का नाम रघुवीर था। मेरे चाचा रघुवीर के दो बेटे व तीन बेटिया थी। मेरे चचेरे भाई अमर सिंह की वर्ष 1997 मे मौत हो गई थी तो अमर सिंह की पत्नी बाला देवी व तीन बच्चो क्रमशः निक्की, नेहा, शालू व रजत के साथ मेरे पास आ गयी थी तथा मेरे चाचा रघुवीर सिंह भी मेरे पास ही रहने लगे थे। मेरे चाचा रघुवीर सिंह के नाम 30 बीघा जमीन थी। वर्ष 2003 मे मैने अपने चाचा रघुवीर सिंह से 15 बीघा जमीन अमर सिंह के लडके रजत सिंह के नाम, साढे सात बीघा जमीन अमर सिंह की पत्नी बाला देवी के नाम तथा साढे सात बीघा जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसका अमर सिंह के सगे छोटे भाई धर्मेन्द्र व 03 सगी बहनो ने विरोध किया था। तब से अभी तक रजत एवं रजत की माता के नाम जमीन से कमाई के सभी पैसे मै ही रखता था तथा मैने रजत की दो बहन निक्की व नेहा की शादी भी करायी थी। मैने रजत व रजत की माता तथा अपनी जमीन मे ईट का भट्टा लगभग 12 साल पहले लगाया था। लगभग 02 साल पहले रजत ने मुझसे कहा कि मेरी शादी करा दो, लेकिन मैने मना कर दिया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तब रजत ने अपनी व अपनी माता की जमीन मे लगे ईट भट्टे के किराये मे अपना हिस्सा मांगा, जिस बात को लेकर मेरा व रजत का झगडा हो गया था तथा रिश्तेदारो ने आकर फैसला कराया था। फैसले मे यह तय हुआ था कि ईट के भट्टे के किराये को तीन हिस्सो मे बांटा जायेगा, दो हिस्से रजत को 05 लाख 50 हजार रूपये तथा एक हिस्सा मुझे 02 लाख 50 हजार रूपये मिलते थे। मैने माह जून, 2024 मे रजत व रजत की माता की जमीन मे लगे यूकेलिप्टिस के पेड लगभग 09 लाख रूपये मे बेचे थे। यह पेड मैने ही लगाये थे तो मैने रजत व रजत की माता को कोई पैसे इन पेडो के नहीं दिये थे, रजत ने मुझसे पेडो के पैसे मांगे तो मैने मना कर दिया था कि पेड मेरे थे, मैने ही जमीन मे लगाये थे, लेकिन रजत मानने को तैयार नहीं था और कहता था कि पेड तो मेरी व

मेरी माता की जमीन मे लगे हुए थे। तब रिश्तेदारो ने आपस मे बैठाकर फैसला कराया तो यह तय हुआ कि रजत की छोटी बहन शालू की शादी 02 साल बाद की जायेगी, जिसकी शादी का सारा खर्चा मेरे द्वारा वहन किया जायेगा। लेकिन इसके बाद रजत ने इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया था, लगातार मुझसे पेडो के पैसे मांगने लगा था तथा मुझ पर पैसे देने का ज्यादा दबाव बना रहा था। चूंकि रजत व रजत की माता को जमीन मैने ही रजत के दादा रघुवीर से दिलायी थी और अब रजत मुझपर ही जमीन को लेकर हेकडी दिखाने लगा था तो मेरे मन मे रजत को रास्ते से हटाने व जमीन हडपने का विचार आ गया था। दूसरी तरफ रजत का बहनोई मोहित पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मुख्तयारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर भी अपनी सास बाला देवी पर उसकी जमीन अपनी अपने नाम करने का दबाव बना रहा था और इसी बात को लेकर रजत व मोहित मे झगडा भी हुआ था तथा मोहित की अपने साले रजत से बातचीत बन्द हो गई थी। लगभग 02 महीने पहले मुझे मोहित नजीबाबाद रास्ते पर मिला था, जिसे मैने अपने ईट के भट्टे पर आकर मिलने के लिए कहा था। मोहित मेरे भट्टे पर 02 से 03 बार आया था तो मैने मोहित की मन की बात जानी और हम दोनो ने योजना बनायी कि रजत को जान से मार देते है और रजत के मरने के बाद मैने मोहित को ईट के भट्टे के किराये मे हर साल हिस्सा देना तय किया था तथा यह भी कहा था कि जब मै रजत की माता की जमीन अपने नाम करा लूंगा तो तुम्हे 04 लाख रूपये दूंगा। मोहित ने अपने दोस्त जितेन्द्र पुत्र मिन्टु सिंह नि0 ग्राम मुख्तयारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को भी शामिल कर लिया था। इस घटना से लगभग एक सप्ताह पहले मोहित व जितेन्द्र मेरे बिजौरी रोड पर स्थित ईट के भट्टे पर शाम के समय आये थे तो हम तीनो ने रजत को जान से मारने की योजना बनायी थी। जितेन्द्र भी रजत का पक्का दोस्त था तो रजत को घर से बुलाने की जिम्मेदारी जितेन्द्र ने ली थी। मैने मोहित व जितेन्द्र को फोन पर बात करने से मना कर रखा था। रजत शराब का आदी था तो योजना के अनुसार दिनांक 26.09.2024 को मोहित व जितेन्द्र ने रजत को शाम के लगभग 05 बजे उसके घर से बुलाकर सैनी ढाबा के पास नहर की पटरी पर ले जाकर रजत की हत्या कर लाश को झाडियो मे छिपा दिया था। जब मोहित व जितेन्द्र इस घटना को अंजाम देने के लिए गये थे तो इससे पहले इन दोनो ने शाम को ही मुझे मेरे ईट के भट्टे पर आकर बता दिया था तो मैने अपना मोबाईल फोन बन्द कर लिया था और अगले दिन अपना फोन खोला था, मुझे डर था कि मोहित व जितेन्द्र कभी मेरे पास इस घटना को करने के बाद फोन ना कर दे। अगले दिनांक 27.09.2024 को मुझे रजत के गुम होने की जानकारी मिल गई थी तो मै भी रजत को तलाश करने के लिए गांववालो के साथ गया था। दिनांक 28.09.2024 को रजत की लाश मोहित व जितेन्द्र ने तलाश कर लोगो को बतायी थी। जब रजत की पत्नी ने रजत की हत्या का मुकदमा लिखाया और मुकदमे मे जितेन्द्र व मोहित को पुलिस तलाश कर रही थी तो ये दोनो रात के समय मेरे पास मेरे ईट के भट्टे पर आये थे और कह रहे थे कि पुलिस हमे तलाश कर रही है तब मैने इन दोनो से कहा था कि तुम मेरे बारे मे पुलिस को मत बताना, तुम्हारी जमानत की जिम्मेदारी मेरी होगी और जो बात तय हुई थी कि ईट के भट्टे के किराये मे रजत का हिस्सा तथा 04 लाख रूपये मै तुम्हे दे दूंगा। इसी कारण मोहित व जितेन्द्र ने पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

नरेश कुमार पुत्र हरकेश सिंह निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री संजय कुमार थानाध्यक्ष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 836 सुधीर कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.कां0 2080 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद दिनॉक 02.10.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.10.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर अभियुक्त नौशाद अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी मौ0 जगन्नाथ चौक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अपनी फेसबुक आई0डी0 से हिन्दू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट की गयी है । नजीबाबाद पुलिस द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुये तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 492/24 धारा 299 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी/पोस्ट करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.10.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नौशाद अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी मौ0 जगन्नाथ चौक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नौशाद अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी मौ0 जगन्नाथ चौक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण–

1.एक मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरीक्षक सुभाष चन्द यादव, पेशी क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 सौरभ कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी रोहित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 02.10.2024**

थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर से सम्बंधित प्रकरण में ग्राम प्रधान ज्ञानपुर द्वारा कथित पत्रकार के विरुद्ध स्वंय की छवि धूमिल करने एवं खबर न छापने की एवज में रुपयों की मांग करने के सम्बंध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में।

विवरण –

दिनांक 24.09.2024 को थाना नगीना पर थाना क्षेत्र नगीना के वादी द्वारा अभियुक्त हिनेन्द्र पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जिला बिजनौर के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ घर मे घुसकर छेडछाड किये जाने के संबंध मे मु0अ0सं0 274/24 धारा 332(C)/74/115(2) बी0एन0एस0 व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2012 पंजीकृत कराया गया। अभियोग विवेचनाधीन है।

दिनांक 01.10.2024 को वादी श्री मुकेश कुमार (ग्राम प्रधान) पुत्र टेकचन्द निवासी ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर तहरीर उपलब्ध करायी जिसमे अंकित किया गया कि उसके गांव मे दिनांक 24.09.2024 को लडकी के पास हिनेन्द्र पुत्र राकेश ने कागज पर मोबाइल नम्बर लिखकर फेंक दिया था, जिसमे लडकी के परिजनों ने थाना नगीना पर लडके हिनेन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे लडकी पक्ष व लडका पक्ष ने आपस मे बैठ कर राजी नामा कर लिया था। लेकिन दिनांक 29.09.2024 को हिनेन्द्र के घर पर स्वयं को नगीना के हिन्दुस्तान टाइम्स का पत्रकार बताने वाला अंकुर अपने साथ दो व्यक्तियों को लेकर पहुंचा तो घर पर हिनेन्द्र के दादा दीवान सिंह पुत्र फुस्सा तथा उनकी पत्नी बाला देवी मौजूद थी, जो अनपढ व सीधे व्यक्ति हैं। जिन्हे पत्रकार अंकुर व उसके साथियों ने बहलाया कि जैसे हम बता रहें है आप वैसे ही बोल दीजिये तो हम लडकी वालों के खिलाफ भी थाने से कठोर कार्यवाही करा देंगे और तुम्हारे पोते के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वह वापस हो जायेगा। कथित पत्रकार अंकुर ने अपने साथियों के साथ साजिशन बुजुर्ग दम्पत्ति से कहलवा दिया कि हमारे पोते के गांव की पंचायत मे ग्राम प्रधान ने पंचायत मे बाल मुंडवाकर मुंह काला करके घुमाया है। पत्रकार अंकुर ने दोनों दम्पत्ति की चुपके से वीडियो बना ली तथा सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब यह लोग वीडियो बनाकर निकल रहे थे तो मुझे गांव के अडडे पर मिले और मुझे वीडियो दिखाकर कहने लगे कि प्रधान जी 10,000 /- रुपये दिलावओ तो हम ये वीडियो छिपा लेंगे। खबर मे मुझे गांव का दबंग व्यक्ति घोषित करते हुए मेरी छवि खराब कर मुझे बदनाम किया गया है। जबकि मैं गांव का प्रथम नागरिक हूँ तथा मेरी छवि गांव मे तथा आस पास के क्षेत्र मे एक साफ सुथरे व्यक्ति की है। इनके द्वारा फैलायी गई झूठी खबर से समाज मे मेरी छवि को बहुत नकसान पहुंचा है, जिससे सुनकार मैं काफी सदमे में हूं तथा उपरोक्त घटना से मै बहुत ही ज्यादा मानसिक कष्ट व तनाव में हूँ। प्राप्त तहरीर के आधार पर कथित पत्रकार अंकुर व दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना नगीना पर मु0अ0सं0 280/2024 धारा 308(2)/356(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अभियोग विवेचनाधीन है। नामजद अंकुर व अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्रकरण के सम्बंध में दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के जनपद प्रभारी से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि थाना नगीना क्षेत्र मे समाचार संकलन के कार्य हेतु मौ0 यासीन सोनी नियुक्त है। अंकुर नाम के किसी व्यक्ति ने दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के लिये कभी भी समाचार संकलन का कार्य नही किया है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन दिनॉक – 02.10.2024

रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में वामा सारथी, उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 02 अक्टूबर के पर्व पर स्वच्छ भारत मिशन एवं कपडे के बैग बनाने की प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन

आज दिनांकः 02.10.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में वामा सारथी, उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुलिस लाइन्स एवं आवासीय कालोनी में पुलिस बल द्वारा पॉलिथीन मुक्त सफाई अभियान चलाया गया तथा पुलिस परिवार द्वारा कपडे के बैग बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस परिवार की महिलाऍ एवं बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का संचालन श्रीमती पूजा सिरोही पत्नी श्रीमती सुनील सिरोही द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक मण्डल में श्रीमती शालू पत्नी श्री जितेन्द्र, कु0 हिमानी पुत्री श्री प्रीतम सिंह एवं श्रीमती पूनम पत्नी श्री सत्यपाल सिंह द्वारा परिणाम तैयार किया गया। जिसमें श्रीमती उर्मिला त्यागी पत्नी श्री निर्देश त्यागी ने प्रथम स्थान, श्रीमती रजनी पत्नी श्री रोहित कुमार ने द्वितीय स्थान एवं श्रीमती सुधा पत्नी श्री युधिष्ठिर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सफाई अभियान एवं कपडे के बैग बनाने की प्रतियोगिता के दौरान प्रतिसार निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाइन्स एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा　　　　दिनांक- 02.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 404/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/117(2)/352/351(3)/105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21/08/2024 को वादी श्री अनीस अहमद पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अब्दुल 2.असलम 3.अरशद 4.शकील उर्फ पप्पू पुत्रगण खलील 5.सुहैल पुत्र असलम 6. शाकिब पुत्र शरीफ समस्त निवासीगण ग्राम मंगलखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के भाई नफीस के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डण्डो व धारदार हथियार से मारपीट की जिससे वादी के भाई नफीस को सिर व पैरों में गम्भीर चोटें आयी व नफीस की टांग टूट गयी तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 404/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/117(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 26.09.2024 को उपचार के दौरान नफीस उपरोक्त की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 105 बीएनएस की वृध्दि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त असलम पुत्र खलील निवासी ग्राम मंगल खेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

असलम पुत्र खलील निवासी ग्राम मंगल खेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 535 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.का0-1999 सतपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 02.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त सलीम पुत्र रईस नि0 ग्राम गागु नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अं0सं0 525/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

सलीम पुत्र रईस नि0 ग्राम गागु नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अं0सं0 22/2022 धारा 08/15 एनडीपीएस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर
2.मु0अं0सं0 100/23 धारा 380/411 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर
3.मु0अं0सं0 109/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर
4.मु0अं0सं0 110/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5.मु0अं0सं0 930/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6.मु0अं0सं0 525/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.का0 2592 सुमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

BIJNOR POLICE

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर

सितम्बर - 2024

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर द्वारा सितम्बर - 2024 में 11 व्यक्तियों के साथ हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 9,49,254/- रुपये वापस कराये गये

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरुप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0स0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि	माध्यम
1	मण्डावली	NCRP- 30838	9999/-	यूपीआई
2	हल्दौर	NCRP- 63820	35,553/-	यूपीआई
3	थाना साइबर क्राइम	FIR- 45/2024	1,64,000/-	आरटीजीएस
4	कोतवाली शहर	NCRP- 99568	5000/-	यूपीआई
5	धामपुर	NCRP- 63154	5000/-	यूपीआई
6	थाना साइबर क्राइम	FIR-36/2024	31,722/-	यूपीआई
7	थाना साइबर क्राइम	FIR-15/2024	5,00,000/-	आईएमपीएस
8	कोतवाली शहर	NCRP- 98070	10000/-	यूपीआई
9	नहटौर	NCRP- 90077	1,68,000/-	आईएमपीएस
10	अफजलगढ	NCRP- 17352	14,980/-	यूपीआई
11	नगीना देहात	NCRP- 99042	5000/-	यूपीआई
		कुल योग	9,49,254/-	